



अभिमान कुश्री सपना रानी
 द्वारा प्रस्तुत
 दिनांक 24/12/18
 अधीक्षक
 आयुक्त कार्यालय
 उज्जैन

माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.
 निगरानी - 6548/2018/रतलाम/भू.र.

स्व. केसरीमल के वारिसान -

1. शारदादेवी पति केसरीमलजी जैन,
आयु 64 वर्ष, धंधा गृहकार्य,
2. राजेश पिता केसरीमलजी जैन,
आयु 48 वर्ष धंधा व्यापार,
3. सुनील पिता केसरीमलजी जैन,
आयु 40 वर्ष, धंधा व्यापार,
निवासी 51 गौशालारोड रतलाम

..... प्रार्थीगण

विरुध्द

1. रवि पिता अनोखीलालजी कटारिया,
आयु 50 वर्ष, धंधा व्यापार,
निवासी घांस बाजार रतलाम,
2. गंगाराम पिता उंकारलाल धाकड
आयु 70 वर्ष, धंधा कुछ नहीं,
निवासी खेतलपुर रतलाम म.प्र.

..... प्रतिप्रार्थीगण

न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 767/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 26.10.18 कि जिसके द्वारा प्रार्थीगण की अपील निरस्त की जाकर विचारण न्यायालय तहसीलदार महोदय रतलाम द्वारा प्र.कं. 05/अ-70/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 21.10.11 तथा न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड रतलाम शहर रतलाम के प्र.कं. 15/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 18.04.17 को विधि सम्मत होना ठहराकर स्थिर रखा गया है, उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत है

रुक्तिम जेठ

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता

मान्यवर महोदय,

प्रार्थीगण की और से निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत है-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-6548/2018/रतलाम/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01/08/2019	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश दिनांक 26.10.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध निगरानी के सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व मण्डल को नहीं है। उक्त तथ्य के आधार पर यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">(महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	

AR